

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राजस्थान)

पीठारसीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या : Gems No. 2022/96

दायरा तिथि : 25.03.2022

आदेश तिथि: 14-5-22

अपीलान्त :-

जेठाराम पुत्र मोतीराम जाति जणवा चौधरी  
निवासी धणी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

रेस्पोंडेन्ट्स :-

1. सारपंच ग्राम पंचायत धणी तहसील बाली जिला पाली
2. तहसीलदार, बाली
3. केसाराम पुत्र श्री मोतीराम जाति जणवा चौधरी  
निवासी धणी तहसील बाली जिला पाली (राज0)
4. नवाराम पुत्र श्री मोतीराम जाति जणवा चौधरी  
निवासी धणी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
5. पेमाराम पुत्र श्री मोतीराम जाति जणवा चौधरी  
निवासी धणी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
6. रताराम पुत्र श्री मोतीराम जाति जणवा चौधरी  
निवासी धणी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

उपरिस्थिति:-

1. श्री नेकाराम चौधरी..... अभिभाषक अपीलान्त की ओर से
2. श्री नुतनसिंह सोनीगरा ..... अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 03 से 06 की ओर से
3. श्री ललितकुमार नायव तहसीलदार.....पैरोकार सरकार

-:: आदेश ::-

दिनांक : 14-5-22

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

(विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 1282 दिनांक 06.08.2021 जो सारपंच ग्राम पंचायत धणी द्वारा स्वीकृत किया गया)

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। अपीलान्त ने उक्त अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध रेस्पोंडेन्ट्स प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम धणी तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 132 रकबा 3.07 हैक्टर अपीलान्त के खातेदारी की स्थित रही है। इस भूमि मेंसे 4/5 वां हिस्सा की भूमि का अपीलान्त द्वारा दिनांक 06.08.2020 को रेस्पोंडेन्ट संख्या 03 से 06 को रजिस्टर्ड बख्शीशनामा के जरिये बख्शीश किया गया। रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 03 से 06 द्वारा उक्त बख्शीशनामा के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करवाने की कार्यवाही की गई, तो पटवारी हल्का, धणी द्वारा त्रुटिपूर्ण तौर से संपुर्ण भूमि बाबत रेस्पोंडेन्ट संख्या 03 से 06 के नाम का नामान्तरकरण संख्या 1282 दर्ज कर दिया, तथा जिसको निरीक्षक भू0अ0 की जांच के बाद सारपंच ग्राम पंचायत धणी ने भी अपने प्रस्ताव संख्या02 दिनांक 06.08.2021 से स्वीकृत कर दिया। इस प्रकार अपीलान्त द्वारा अपनी खातेदारी भूमि धणी के खसरा नंबर 132 रकबा 3.07 हैक्टर मेंसे केवल 4/5 हिस्सा का ही बख्शीशनामा पंजिवद्ध कराने के बावजूद संपुर्ण भूमि में रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 03 से 06 का नाम दर्ज होने से अपीलान्त द्वारा उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कर 4/5 हिस्सा में रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 03 से 06 का नाम दर्ज करने तथा 1/5 हिस्सा में अपीलान्त स्वयं के नाम का नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अपनी अपील में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य बख्शीशनामा दिनांक 06.08.2020 की प्रति, नामान्तरकरण संख्या 1282 दिनांक 06.08.2021 की प्रति पेश की। तथा अपने पहचान पत्र की फोटो प्रति पेश की।

प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट्स को सम्मन जारी किये जाने पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 03 से 06 ने व्यक्तिशः दिनांक 28.04.2022 को उपस्थित होकर जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्त ने दिनांक 06.08.2020 को उसकी खातेदारी भूमि धणी के खसरा नंबर 132 रकबा 3.07 हैक्टर मेंसे 4/5 हिस्सा ही रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 03 से 06 के पक्ष में बख्शीश किया था। परन्तु बख्शीशनामा के आधार पर दाखिल व स्वीकृत म्यूटेशन संख्या 1282 दिनांक 06.08.2021 से संपुर्ण रकबा भूमि में रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 03 से 06 का नाम दर्ज होना स्वीकार करते हुये विवादास्पद नामान्तरकरण को निरस्त कर नये सिरे से बख्शीशनामा दिनांक 06.08.2020 के अनुसार 4/5 हिस्सा में रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 03 से 06 के नाम का तथा 1/5 हिस्सा में अपीलान्त के नाम का नामान्तरकरण दर्ज किये जाने बाबत सहमति व्यक्त की।

रेस्पोंडेन्ट्स द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करने से प्रकरण को लोक अदालत में रखा गया। चूंकि दोनों पक्ष सहमत हैं। अतः पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन व पक्षकारान् व उनके वकूलाय को सुनने के पश्चात् अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती हैं। विवादास्पद नामान्तरकरण संख्या 1282 दिनांक 06.08.2021 निरस्त किया जाता है। प्रकरण में वर्णित भूमि ग्राम धणी के खसरा नंबर 132 रकबा 3.07 हैक्टर में माफिक बख्शीशनामा दिनांक 06.08.2020 रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 03 से 06 का 4/5 हिस्सा तथा 1/5 हिस्सा में अपीलान्त के नाम का तहसीलदार, बाली नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही कर पालना से अवगत करावे। इस हेतु मूल नामान्तरकरण संख्या 1282 दिनांक 06.08.2021 की पत्रावली पर उपलब्ध सत्यापित प्रति मय आदेश प्रति मौलानार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फंसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



आदेश आज दिनांक 14-5-22 को मजमा-ए-आम में सुनाया गया।

सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना  
आई.ए.एस.  
बाली, जिला-पाली (राज.)  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर (राज.)  
उपखण्ड अधिकारी, बाली  
बाली, जिला-पाली (राज.)